# 17 राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना
## (Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme)

वित्त मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी बचत योजना के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। यह योजना विशेष रूप से शेयर बाजार में नए निवेशकों को आकर्शित करने के लिए बनाई गई है। इसकी कुछ मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

- ☞ इस योजना में निवेश केवल नए खुदरा निवेशक (New retail Investor) ही कर सकतें हैं, जिनकी पहचान PAN नंबर के माध्यम से की जावेगी। इस योजना में वे निवेशक भी शामिल हो सकतें हैं, जिन्होने डी–मेट अकाउंट पूर्व से ही खुलवा रखा है परन्तु इस योजना की नोटिफिकेशन जारी होने के दिनांक तक शेयरों या वायदा कारोबार (Derivative) मे कोई खरीदी बिक्री न की हो।
- ☞ इस योजना में वे निवेशक भी निवेश कर सकतें हैं, जिनकी कुल आय (Gross Total Income) उस वित्तीय वर्ष में 12 लाख या उससे कम हो।
- ☞ इस योजना में अधिकतम निवेश की सीमा 50,000 रू तक निर्धारित की गई है तथा निवेशकों को निवेश की गई राशि का 50 प्रतिशत की कटौती (Deduction) आयकर की धारा 80CCG के तहत मिलेगी। यह कटौती लगातार तीन वर्षों तक किए गए निवेश पर क्लेम की जा सकती है। परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम कटौती मात्र 25,000 रू. की सीमा मे ही प्राप्त हो सकेगी।
- ☞ इस योजना के तहत निम्नलिखित शेयरों/म्यूचूअल फण्ड में निवेश किया जा सकता है :–
  - ✓ बाम्बे स्टाक एक्सचेंज BSE-100
  - ✓ नेशनल स्टाक एक्सचेंज NSE-100
  - ✓ पब्लिक फालोआन आफर
  - ✓ नवरत्न, महारत्न व मिनिरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के शेयर।
  - ✓ ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पब्लिक शुरूआती पब्लिक इश्यु (IPO) जिनका वार्षिक टर्न ओवर 4,000 से कम न हो।
  - ✓ ईक्विटी ओरिएंटेड म्यूचूअल फण्ड यूनिटों में
- ☞ कुछ म्युचुअल फण्ड एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड जिनके विभिन्न योजनाओं के पोर्ट फोलियो में उपरोक्त श्रेणी के शेयर हैं, ने वित्त मंत्रालय से इस योजना में शामिल होने हेतु निवेदन किया था, अतः नए खुदरा निवेशकों को सीधे शेयर खरीदने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे म्युचुअल फण्ड एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फण्डों को अनुमति दी गई है, अर्थात निवेशक इनके माध्यम से भी इस योजना में निवेश कर सकतें हैं।
- ☞ निवेशकों को किश्तों में या एस.आई.पी. (SIP) के माध्यम से निवेश करने की सुविधा दी गई है। इस प्रकार टैक्स में छूट वर्ष के दौरान इस योजना में निवेश की गई कुल राशि के आधार पर देय होगी।
- ☞ निवेश का लाक–इन पीरियड 3 वर्ष होगा, जिसकी गणना उस वित्तीय वर्ष में आखरी बार किए गए निवेश के दिनांक से की जावेगी। अर्थात यदि निवेश 1 नवंबर 2012 से 15 जनवरी 2013 के दौरान किश्तों में किया गया है तो 3 वर्ष की लाक–इन अवधि 14 जनवरी 2016 को समाप्त होगी।
- ☞ समय समय पर शेयरों के रेट बढ़ते व कम होते रहते हैं, अतः इस योजना के तहत भी निवेश के एक साल के पश्चात निवेशकों को आवश्यकतानुसार समय समय पर खरीदने बेचने की सुविधा दी गई है परन्तु पोर्ट फोलियो में निवेशित राशि इस तरह से मैनेज करना है कि छुट के लिए क्लेम की गई राशि के बराबर मूल्य के शेयर/यूनिट, वर्ष में कम से कम 270 दिनो तक पोर्ट फोलियो में निवेशित रहें। इस प्रावधान के लिए शेयरों/यूनिटों के पहले दिन के क्लोजिंग प्राईज को आधार मानकर गणना की जावेगी।



1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:40 PM